

विषय:- उच्च न्यायालय परिसर में आंधी के दौरान गिरे 03 वृक्षों की नीलामी।

नीलामी की तिथि- 13 जून, 2016, दिन सोमवार
स्थान- माननीय उच्च न्यायालय परिसर
समय- पूर्वाह्न 11.00 बजे

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय परिसर में आंधी के दौरान गिरे 03 वृक्षों की नीलामी कार्यवाही दिनांक 13.06.2016 को नियत की गयी है। नीलामी प्राप्तकर्ता वृक्षों से सम्बन्धित प्राप्त अनुज्ञा पत्र वन विभाग से स्वयं प्राप्त करेगा तथा अनुज्ञा पत्र हेतु अपेक्षित धनराशि मुबलिग रु0330/- रूपया का भुगतान स्वयं वन विभाग को करेगा। इसके साथ ही समस्त 03 वृक्षों की नीलामी रु05,701.66 से कम नहीं होगी। अनुज्ञा पत्र प्राप्त होने के बाद ही वृक्षों के कटान का कार्य किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति/संस्था नीलामी बोली में भाग लेने हेतु नियत तिथि को समय पूर्वाह्न 11.00 बजे नजारात अनुभाग, उच्च न्यायालय परिसर में उपस्थित होंगे। वृक्षों का विस्तृत विवरण नजारात अनुभाग से कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। अन्य जानकारी माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर उपलब्ध है।

निबन्धक (शिष्टाचार)
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

नीलामी की शर्तें

1. सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि यह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें। अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व रु0500/- नगद जमानत राशि जमा करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरंत वापस कर दी जायेगी।
3. नीलामी की कार्यवाही में बोली बोलने वाले हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा अथवा अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकेगा, जो उक्त धनराशि जमा करेगा।
4. नीलामी होने वाले पेड़ों को 10.06.2016 को अपराहान् 2.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक सहायक निबन्धक (नजारात) / न्यायालय अधिकारी से सम्पर्क कर देखा जा सकेगा।
5. बोली बोलने वाले का यह उत्तरदायी होगा कि बोली से पूर्व उक्त पेड़ों का पूर्ण निरीक्षण कर लें।
6. जिसकी बोली, अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली का 75 प्रतिशत धनराशि उच्च न्यायालय कोषागार में तुरंत जमा करना होगा, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति का निर्धारित धनराशि तुरंत जमा नहीं की गयी तो बोल निरस्त समझी जायेगी व जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम सर्वोच्च बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर बोली बोलने वाले को एक सप्ताह में शेष धनराशि जमा करनी होगी अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी वा पेड़ों को पुनः नीलाम किया जायेगा।
8. पेड़ों की अन्तिम बोली जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती है तब तक पेड़ों पर उच्च न्यायालय प्रशासन का अधिकार रहेगा।
9. नीलाम किये गये पेड़ों को उच्च बोली बोलने वाले को तब तक सुपुर्दगी नहीं दी जायेगी जब तक की उसने बोली की पूर्ण धनराशि का भुगतान न कर दिया गया हो।
10. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को पेड़ों को पूरा मूल्य जमा कर देने के पश्चात तथा शर्त संख्या 9 के पूर्ण होने के पश्चात तत्काल पेड़ों को हटाना होगा।
11. यदि नीलामी की शर्तों के विषय में कोई विवाद उठता है तो महानिबन्धक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

निबन्धक (शिष्टाचार)
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद